No.I-27011/2/2017-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated:10.01.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2017 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2017"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF DECEMBER, 2017

(1) Circulars:-

(i) This Ministry has issued General Circular No. 15/2017 dated 04.12.2017 for filing of Form CRA-4, for the financial years starting on or after 1st April, 2016, without additional fees till 31st December, 2017.

(ii) This Ministry vide General Circular No.16/2017 dated 29.12.2017 has decided to introduce a Scheme namely "Condonation of Delay Scheme, 2018" [CODS-2018] for enabling disqualified directors to remove the disqualification by complying with the filing requirements provided they are not a director on the board of any struck-off companies. The scheme come into force w.e.f. 01.01.2018 and shall remain in force up to 31.03.2018. Some of the major salient features of CODS-2018 are as under:-

(a) This scheme is applicable to all defaulting companies (other than the companies which have been struck off/whose names have been removed from the register of companies under section 248(5) of the Act).

(b) The defaulting company after filing overdue documents under this scheme, shall seek condonation of delay by filing form e-CODS attached to this scheme online on the MCA21 portal. The filing fee for form e-CODS is Rs.30,000/- only.

(c) The DIN of the disqualified directors of the defaulting companies will be temporarily activated for filing the overdue documents.

(iii) The Companies (Amendment) Bill, 2016 (alongwith Official Amendments therein proposed by the Government) was passed on 27.07.2017 in the Lok Sabha and on 19.12.2017 in the Rajya Sabha. The Hon'ble President has given his assent on the said Bill on 3rd January, 2018, which is enacted as the Companies (Amendment) Act, 2017.

(2) Notifications:-

(i) A notification vide S.O. No. 3804(E), was issued on 04.12.2017 whereby this Ministry has designated Special Court for the State of Karnataka with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Karnataka, for providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013.

(ii) A notification vide G.S.R. No. 1480(E), was issued on 04.12.2017 whereby this Ministry has substituted "Annexure III" in the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 for the purpose of filing their financial statements. "Annexure III" prescribes the taxonomy for preparing cost audit report.

(iii) A notification vide G.S.R. No. 1498(E), was issued on 07.12.2017 whereby Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2017 have been amended for bringing them in line with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified vide Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

(iv) A notification vide G.S.R. No. 1526(E), was issued on 20.12.2017 whereby Companies (cost records and audit) Second Amendment Rules, 2017 have been amended due to introduction of Goods and Service Tax (GST).

(3) Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 to replace the Insolvency and Bankruptcy Code (Ordinance) 2017 was introduced in the Lok Sabha on 28th Dec., 2017 and the same was passed by the Lok Sabha on 29th Dec., 2017. The said Bill has also been passed by Rajya Sabha on 2nd January, 2018 and re-passed by the Lok Sabha with respect to change of year.

(4) Ministry has constituted Insolvency Law Committee (ILC) vide order dated 16.11.2017 to take stock of functioning and implementation of the Code, identify the issues that may impact the efficiency of the corporate insolvency resolution and liquidation framework prescribed under the Code and make suitable recommendations to address such issues, enhance efficiency of the processes prescribed and for effective implementation of the Code. ILC first meeting was held on 08.12.2017.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 10 जनवरी, 2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिसंबर, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का दिसंबर, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

दिसंबर, 2017 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) परिपत्र:-

(i) इस मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2016 को उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप सीआरए-4 बिना अतिरिक्त शुल्क के फाइल करने के लिए तारीख 31 दिसंबर, 2017 तक बढाते हुए दिनांक 04.12.2017 का सामान्य परिपत्र सं. 15/2017 जारी किया है।

(ii) इस मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2017 के सामान्य परिपत्र सं. 16/2017 द्वारा "विलंब की माफी स्कीम, 2018" (सीओडीएस-2018) नामक स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है ताकि अयोग्य निदेशक फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करके अयोग्यता को समाप्त कर सकें बशर्ते कि वे किसी नाम काटी गई कंपनी के बोर्ड के निदेशक न हो। यह स्कीम 01.01.2018 से लागू की गई और इसे 31.03.2018 तक लागू रखा जाएगा। सीओडीएस-2018 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) यह स्कीम सभी चूककर्ता कंपनियों के लिए लागू है (उन कंपनियों को छोड़कर जिनके नाम इस अधिनियम की धारा 248(5) के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से काटे गए हैं/हटा दिए गए हैं।)

(ख) चूककर्ता कंपनी इस स्कीम के अंतर्गत बकाया दस्तावेजों को फाइल करने के बाद एमसीए-21 पोर्टल पर इस स्कीम से जुड़े ई-सीओडीएस प्ररूप को फाइल करके विलंब की माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगी। प्ररूप ई-सीओडीएस के लिए फाइलिंग फीस मात्र 30,000/- रुपए है।

(ग) चूककर्ता कंपनियों के अयोग्य निदेशकों का डिन बकाया दस्तावेज फाइल करने के लिए अस्थायी रूप से सक्रिय किया जाएगा।

(iii) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (और सरकार द्वारा इसमें यथाप्रस्तावित आधिकारिक संशोधन) लोकसभा में दिनांक 27.07.2017 को और राज्य सभा में 19.12.2017 को पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक को अपनी सहमति 03 जनवरी, 2018 को दी है जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के रूप में अधिनियमित किया गया है।

2. अधिसूचनाएं:-

(i) दिनांक 04.12.2017 को का.आ.सं.3804(अ) के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन 2 वर्ष या इससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से कर्नाटक राज्य के लिए विशेष न्यायालय नामित किया है।

(ii) दिनांक 04.12.2017 को सा.का.नि. सं. 1480(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा इस मंत्रालय ने कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों की विस्तारणीय व्यापार रिपोर्टिंग भाषा में फाइलिंग) नियम, 2015 में वित्तीय कथनों की फाइलिंग के प्रयोजनों हेतु "अनुलग्नक-III" को प्रतिस्थापित किया है। "अनुलग्नक-III" में लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेक्सोनॉमी विहित की गई है।

(iii) दिनांक 07.12.2017 का सा.का.नि. सं. 1498(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2017 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

(iv) दिनांक 20.12.2017 को सा.का.नि. सं. 1526(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रारंभ होने के कारण कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 2017 संशोधित किए गए हैं।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (अध्यादेश), 2017 को प्रतिस्थापित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 28 दिसंबर, 2017 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और इसे लोक सभा द्वारा 29 दिसंबर, 2017 को पारित किया गया। उक्त विधेयक 02 जनवरी, 2018 को राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया है और वर्ष बदलने के कारण लोकसभा द्वारा पुनः पारित किया गया है।

(4) इस मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2017 के आदेश द्वारा दिवाला विधि समिति (आईएलसी) का गठन किया है जो इस संहिता के कार्यकरण और कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेगी, उन मुद्दों की पहचान करेगी जो इस संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान और विहित समापन ढांचे की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए, इस संहिता में विहित प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि करने और प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए उचित सिफारिशें करेगी। आईएलसी की पहली बैठक 08.12.2017 को आयोजित की गई।